न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मुकदमा संख्या 14 /2026

अनवान राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार सिणधरी बनाम खूमाराम व अन्य

–::आदेश::–

दिनांक 13.01.2025

श्रीमान जिला कलक्टर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में खातधारकों स्वयं द्वारा प्रस्ताव आवेदन के जरिये निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम **टाको की ढाणी** पटवार मण्डल **पायला कला** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार के निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी/ सरकारी खाते में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारकों की मांग एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के जरिये अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत राजस्व ग्राम **टाको की ढाणी** पटवार मण्डल **पायला कला** तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच के सलंग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हैक्ट.)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि			
					रकबा (हैक्ट.)	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	किस्म
1	राज. सरकार	109/84 110/84	0.0900 0.2289	बा.सो. बा.सो.	0.0900 0.2289	यथा प्रस्तावित	यथा प्रस्तावित	**गै. मु. रास्ता**
2	खुमाराम पुत्र जुगताराम 1/2 हि., घमण्डाराम पुत्र खरथाराम 1/8 हि., भूराराम पुत्र खरथाराम 1/8 हि., लिछमणाराम पुत्र खरथाराम 1/8 हि., वीरोदेवी पत्नि खरथाराम 1/8 हि. जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	106/78 108/81	0.2734 0.0455	बा.सो. बा.सो.	0.2734 0.0455	यथा प्रस्तावित	यथा प्रस्तावित	**गै. मु. रास्ता**

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी